की ज्यादा से ज्यादा खपत है, उसका सबसे अधिक परसन्टेज इन 76 दवाइयों का है जो नियन्त्रण में है। इसलिए अलग से दवाओं का मूल्य बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठता।

SHRI ASHOK MITRA: This issue of the new GATT Treaty is extremely sensitive. There are very large sections of our people including our leading scientists and medical researchers who have expressed great reservations about the contents of this Treaty and the opportunity that it might provide to multi-national corporations to exploit our various life forms. So, all I want from the Government is an assurance that between now and the results of the new elections they should not take any steps which would substantively harm the country's interest. On this issue no further concessions must be conceded by the Government between now and the results of the elections and till a new Government is installed. I want an assurance from the Government on this issue.

श्री राम लखन यादव: माननीय सदस्य को बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। इस देश में जब-जब चुनाव आते हैं, उन दिनों में सरकार इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखती है कि कोई व्यक्ति इससे नाजायज फायदा नहीं उठाये और बराबर यह सरकार के ध्यान में है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, under the GATT agreement, two amendments have been proposed. One amendment is in respect of drugs and pharmaceuticals and another is in respect of agriculture and chemicals. Sir, in our country, our handicap is that not much investment is made in inventions and science and technology, for the purpose of developing indigenous technology in the field of agriculture and drugs and pharmaceuticals. Therefore, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether by the proposed amendment — it has been brought and it is also pending now — whether the Minister visualises more inventions in this country by increased investment of money because compared to the United States which is spending 17 per cent on scientific inventions, our country is spending only 1.6 per cent. I would like to know whether by this proposed amendment more inventions would come about in this country, especially in the field of drugs and pharmaceuticals. By way of competition, as the Minister said, price fluctuation will come down to be within the reach of the common man.

श्री राम लखन सिंह यादव: महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि आर० एंड डी० में अन्य देशों में जो खर्च किया जाता है, खासतौर से अमेरिका का उन्होंने नाम लिया है, निस्संदेह उस देश की जो आय है, उस देश का जो धन है, उस देश में जितना आविष्कार होता है, वहां एक बहुत बड़ी रकम इसमें खर्च की जाती है। लेकिन हम उस चीज को अपनाने से लाचार हैं, इसलिए कि हमारा देश गरीब है और कंपनियां भी अपेक्षाकृत गरीब है। इसलिए हमने यहां कम से कम 2 प्रतिशत रखा है कि ये लोग अपनी आमदनी का 2 प्रतिशत आर० एंड डी० पर लगायें। सरकार भी इसको देख रही है। तो हमने इस चीज की शुरूआत की है और कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों को जब एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने अपील की है कि हर उद्योगपति आर० एंड डी० पर अधिक जोर दे और अपनी आमदनी का अधिक पैसा इस पर लगाये। इस प्रकार से सरकार आर एंड डी के बारे में सजग है। आपने देखा है कि क्योंकि हमारे यहां ट्रिप्स समझौता आ रहा है, धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है, इसलिए हमारी और भी यह आवश्यकता है कि हम आगामी दस वर्षों में अधिक से अधिक आर एंड डी पर पैसा खर्च करें। जो हमारी आय है, उसके मुताबिक अधिक से अधिक हम इस पर आगे आविष्कार करें।

*122. [*The Questioner (Shri Sunder Singh Bhandari) was absent. For answer vide col. 22 infra.*]

TOXIC Effects of DDT

*123. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to opinions expressed by some experts recently that DDT is a proven toxic chemical and its use as a pesticide should be banned; and

(b) if so, the reaction of Government thereto;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (Shri Mohd. Ayub Khan): (a) and (b) Considering the toxic and persistent nature of DDT its continued use has been reviewed by the Government from time to time since 1984. Its use in Agriculture was withdrawn in May, 1989 and its use in public health programme is allowed upto 10,000 MT per annum.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said in

his reply that in 1989, on the basis of the report submitted by an Expert Committee, the use of DDT for agricultural purposes was banned in the country. Sir, the report of the World Health Organisation and the Food and Agriculture Organisation is that the use of DDT causes harm to the crops which, in turn, results in the various foodgrains, cereals and other items, becoming unfit for human consumption.

After receiving the report, the Government of India acted on it and they banned the use of DDT for agricultural purposes. But in reality, we find that this ban is not being properly implemented. When the farmer goes to the pestisicide shop, he finds that DDT is being sold in the market. The poor farmer purchases it and uses it. As a result, a number of crops perish. The other crops which are immune to it carry the toxicity in them. When these foodgrains are sold in the market to the public and when the people consume them, it acts like a slow poison.

Sir, as I said, though the ban was imposed, it has not been implemented in right earnest by the Ministry of Agriculture. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what mechanism is being evolved for the purpose of implementing the ban which was imposed in 1989. We are now in 1996. What has the Government been doing?

In this connection, I would like to point out that there is already a provision in the Pesticide Act by which Government can take action against those who are selling spurious and banned items. I would like to know from the hon. Minister as to what action has been taken.

श्री मोहम्मद अयूब खान: मोहतरम चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में डी॰डी॰टी॰ की एच॰आई॰एल॰ एक ही फैक्टरी है जो दिल्ली के अंदर है। उस फैक्टरी में इसका उत्पादन होता है। इस कीट-नाशक दवाई के लिए सब को लाइसेंस की आवश्यकता है। तकरीबन एक लाख से ज्यादा डीलर्स को इसका लाइसेंस दिया हुआ है। इन लाइसेंस होल्डर्स को पूरी हिदायत है कि कोई भी डी॰डी॰टी॰ को एग्रीकल्चर परपचेज के लिए न बेचे। 10 हजार मिट्रिक टन डी॰डी॰टी॰ सिर्फ हेल्थ परपचेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार ने 1989 में एग्रीकल्चर के लिए इस पर बैन लगा दिया था। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इसका कोई भी असर आज नहीं है और हम इसमें पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। इसकी जितनी हानियां हैं, उनके बारे में हम फारमर्स को पूरी इन्फर्मेशन टाइम बाई टाइम दे रहे हैं। खेती के अतिरिक्त यह उनके जिस्म के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए हानिकारक हैं। इसलिए आज फारमर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और न हमारी सरकार की नीति है कि एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as the hon. Minister has said, DDT causes harm to human beings. The report says that the potential is being spoiled. I would like to know this from the hon. Minister. The Government also took samples at about 300 places. The crops on which DDT was used, were tested. Thereafter, a report was submitted by the Ministry of Agriculture. The report says that it was proved that they carried toxin. The hon. Minister comes here with an excuse that it does not harm human beings more. It is only a comparison. Therefore, I want to say that it is like slow-poisoning.

My humble submission is this. Ten thousand tonnes of DDT is to be used for health purposes. This is being diverted for being used by agriculturists. It is being used by farmers in their agricultural fields because it gives immediate relief by killing pests.

I want to know what report was given after the survey was done. Does it give a clean chit that the samples do not contain toxic elements as residue in the crops being harvested? What are they doing for this purpose?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): मोहतरम चेयरमैन साहब, हमारे मंत्रालय ने कीटनाशक औषधियों के 132 सेम्पल सम्मिट किए थे, जिसका 132 में से करीब-करीब सब में इसका असर कम पाया गया। जो अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, उनमें और डिफरेन्ट सिटीज से, डिफरेन्ट जगह पर सैम्पल की हमारे मंत्रालय ने इनकी जांच की तो उनमें इसका असर कम पाया गया। अगर इसका असर हमारे प्रोडक्शन में होता तो हमारे यहां से जो कोरिया से जो चावल के एक्सपोर्ट का मुआहिदा हुआ है, उन्होंने बाकायदा इसका अध्ययन किया है। उसमें डी॰डी॰टी॰ का कोई भी असर न मिलने पर ही यह मुजाहिद हुआ है। जो हैल्थ के लिए दस हजार मीटरिक टन प्रोडेक्शन की है, उसको भी हम फर्स्ट अप्रैल 1997 से डी॰डी॰टी॰ और बी॰एस॰सी॰ को पक्के तौर पर बन्द करने आ रहे है।

श्री सभापति: श्री रामदास अग्रवाल।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि कृषि उत्पाद के लिए जो कीटनाशक औषधियां तैयार की जाती हैं, उनमें

डी०डी०टी० का पहले काफी महत्व था तथा बाद में पता लगा कि यह उपयोगी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं महोदय कि कीटनाशक औषधियों का आजकल भी कई जगह उत्पादन हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन क्या मंत्रालय समय-समय पर इसकी जानकारी करा रहा है कि आज जो उत्पादित कीटनाशक औषधियां हैं क्या वे आगे जाकर मानव-जीवन के लिए नुकसान-दायक होंगी? इस पर क्या आपने बराबर कोई अध्ययन करने की व्यवस्था कर रखी है या करने जा रहे हैं कि आगे जाकर ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो कृषि उत्पादन में यूज नहीं करनी चाहिए?

डा जगन्नाथ मिश्र: मोहतरम चेयरमैन साहब, हमारे पास 139 कीटनाशक औषधियां पंजीकृत है जिनमें से 120 पर हमने बेन लगा रखा है। हमने सीमित उपयोग की अनुमति 10 की दी है, विचाराधीन दवाइयां 15 है। इसका मतलब है कि हमारे पास 129 पंजीकृत कीटनाशक दवाइयों का सेम्पल मौजूद है। हम लोग समय-समय पर इसका अध्ययन करते हैं। सन् 1984 में डा. बनर्जी समिति ने 14 समितियों का रिव्यू किया था। उसके बाद 1992 में एक और एक्सपर्ट ने 18 का रिव्यु किया। इसका मतलब है कि हम जागरुक है और समय समय पर बाकायदा इन कीटनाशी दवाओं का पूरी गहराई से अध्ययन करते हैं और जांच करते है ताकि हमारी फसलों के लिए और हमारे इन्सानों की ज़िन्दगी के लिए यह खतरनाक साबित न हो सकें। डी०डी०टी० का जब चूहों पर और खरगोश पर अध्ययन किया गया तो इससे मालूम हुआ कि इन कीटानाशक दवाओं से कैंसर के मरीज़ भी बन सकते हैं। इसलिए हमने इनको एग्रीकल्चर के लिए बैन लगा दिया। 1997 से इन दोनों चीज़ों पर परमानेंट तरीके से बैन लगाया गया है। हम 1997 का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डी०डी०टी० की जगह जो दूसरा उत्पादन है वह बहुत महंगा है। हम आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जगह दूसरी चीज़ ला रहे है और 1997 के बाद इसका उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया जाएगा।

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, it is a sad commentary on the functioning of the Government that this issue was examined in 1984 and you banned it in 1989. You waited for five years for the results being made available to you.

May I know from the hon. Minister as to what is the total production of DDT in the country, in factories in Delhi and else where, and where it is being consumed, if not for agricultural purposes, because dealers are there and DDT is being supplied to them. You have said that you have instructed them not to sell it for agricultural purposes, but whosoever buys it, does not say that he needs it for agricultural purposes. He takes the DDT and uses it for agricultural purposes. That awareness is not there in the farming community. So, what is the total production as on date so far as the DDT is concerned and to what uses it is being put, if not for agricultural purposes?

श्री मोहम्मद अयूब खान: मोहतरम् चेयरमैन साहब, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एक फैक्टरी है जिसको सिर्फ 10 हज़ार मीट्रिक टन बनाने की इज़ाज़त दी गई है। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ परपज़ के लिए मलेरिया और फाइलेरिया को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहां तक इसके ऊपर नुकसान की बात है हमारे हिन्दुस्तान का किसान जागरुक है। इससे जितना नुकसान हो सकता है या इसका इतना नुकसान है, इस चीज़ को हमारे हिन्दुस्तान का किसान जानता है। इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए फारमर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करता जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। जितना हमारा फूडग्रेन है और जितना हमारा फूड स्टॉक है, इसमें इन कीटनाशी दवाओं की मात्रा नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल: आपने बताया कि एक लाख डीलर हिन्दुस्तान भर में हैं। आपने क्या एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पैकिंग पर प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है।

श्री मोहम्मद अयूब खान: एक लाख लाइसेंस होल्डर्ज़ हैं हिन्दुस्तान में। कीटनाशी दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस की जरुरत पड़ती है। यह जो लाइसेंस होल्डर्ज़ हैं तकरीबन एक लाख हैं, उन सब को हिदायत है कि कोई भी लाइसेंस होल्डर डी०डी०टी० को एग्रीकल्चर के लिए नहीं बेच सकता।

श्री सतीश अग्रवाल: मगर यह कैसे मालूम पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगी या नहीं? (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल: जो पैकिंग हो कर मेटिरियल आता है क्या उसके ऊपर कहीं यह लिखा हुआ है कि यह मेटिरियल कृषि उत्पाद के लिए काम नहीं लिया जाए या कोई वार्निंग लिखी हुई है? अगर नहीं लिखी हुई है तो कोई भी इसे खरीदेगा और कहीं भी यूज़ करेगा। इसके ऊपर आपका क्या प्रतिबंध है।

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Sir, I would like to know from the hon. Minister two or three things. Drugs like DDT, BHC and other insecticides are very, very poisonous and

are very effective. But, by using them for a longer period time, the purpose is not served. Just now the Minister has said that DDT was used to control malaria in our country, but the results are disastrous. Malarial parasite has become resistant to the use of DDT and, therefore, it is not at all advisable to use such DDTs and BHCs to control malaria. Drugs which are banned all over the world about two to three decades back, we are still continuing to use in our country. That is most harmful. One thing is that the parasites against which the drugs are being used are becoming resistant. Secondly it is having a very adverse effect on the human systems. It has got genetic and carcino-Genic effects. I would like to know whether a study has been made into the levels of DDT in the Indian population. Because these drugs are absorbed by vegetables and fruits like grapes. If you spray the drug, the grapes absorb it. What are the levels of DDT/BHC in grapes? What are the levels of such drugs in the human blood? They are having a very, very bad effect on our health. Can you indicate a date by when these drugs would be totally prohibited from being used? They are very harmful. I would like to know from the Minister whether the Government would come forward with a definite policy in this regard. That is the question.

श्री मोहम्मद अयूब खान: मोहतरम चेयरमैन साहब, यह बात सत्य है कि डी.डी.टी. काफी खतरनाक कीटनाशक दवाई है। एक दफा इसका स्प्रे होने के बाद इसका वातावरण में असर काफी लम्बे समय तक रहता है। अगर हम खेत में छिड़कते है तो खेत की फसल के साथ जो भूसा होता है उस पर उसका असर होगा। जो जानवर उसको खाएगा तो उस जानवर के अंदर उसका असर जाएगा। जिस जानवर से दूध बनेगा उस दूध में उसका असर होगा। उस दूध को जब आदमी पीएगा तो उस पर उसका असर होगा। इसलिए यह हानिकारक चीज है। इस हानि की बदौलत इसको बंद किया गया है और यह बंद करने के लिए मैंने बताया था कि जो डीलर्स हैं, 101 लाख के करीब है, कीटनाशक दवाईयों का लाइसेंस जिनके पास है, ये लाइसेंस होल्डर्स जो हैं उनको डी.डी. टी. सप्लाई नहीं किया जाता है। जो हेल्थ परपज के लिए दस हजार मैट्रिक टन डायरेक्ट हेल्थ के लिया जाएगा वह सिर्फ हेल्थ परपज के लिए यूज किया जाएगा न कि फारमर्स द्वारा या किसानों द्वारा किया जाएगा। **(व्यवधान)**

Financial assistance to Maharashtra for Tribal Development Scheme

*124. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the assistance given to the State of Maharashtra during the last three years to supplements its efforts in tribal development schemes, particularly relating to Family Oriented Income Generating Schemes;

(b) the details of such schemes; and

(c) the first five States which have availed of the maximum assistance under the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K.V. THANGKA BALU): (a) The assistance given by the Ministry of Welfare to the State of Maharashtra during the last three years to supplement its efforts in tribal development schemes, including Special Central Assistance, which is meant primarily for Family Oriented Income Generating Schemes is as follows:-

1992-93	2345.51
1993-94	3245.97
1994-95	3937.50

(b) The details of such schemes are given in the enclosed Statement. (See below)

(c) The first five States which have availed of the maximum assistance under the schemes in the last three years, year-wise, in serial order, are as follows:—

Year	S.No.	State
1992-93	1.	Madhya Pradesh
	2.	Bihar
	3.	Orissa
	4.	Gujarat
	5.	Maharashtra
1993-94	1.	Madhya Pradesh
	2.	Orissa
	3.	Bihar
	4.	Rajasthan
	5.	Maharashtra
1994-95	1.	Madhya Pradesh
	2.	Orissa
	3.	Maharashtra